

धारा 153 : किसी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त करना

सहायक आयुक्त की पंक्ति से कम का कोई अधिकारी *[न हो], मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व हित के संबंध का ध्यान में रखते हुए, उसके समक्ष संवीक्षा, जांच, अन्वेषण या किन्हीं अन्य प्रक्रियाओं के किसी भी प्रक्रम पर किसी भी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त कर सकेगा।

* राजपत्र में "न हो" नहीं छपा है, अंग्रेजी संस्करण के अनुसार लिया गया है।